

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b) Family Welfare Services in rural areas are provided through a network of Sub-Centres, Primary Health Centres (PHC) and Community Health Centres (CHC). There are 9725 Sub-centres, 1695 PHCs and 295 CHCs in Maharashtra.

(c) Eligible couples are motivated through IEC messages in the media and inter personal contact by the health workers. For undergoing sterilization, acceptors are also given Rs. 100/- as compensation for wages lost.

(d) and (e) From 1st April, 1996 the Family Welfare Programme in the entire country is being implemented on the basis of Target Free Approach.

**हरियाणा तथा पंजाब उच्च न्यायालय में लंबित मामले**

**2979. श्री रामजीरामल: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) हरियाणा तथा पंजाब उच्च न्यायालय में 30 जून, 1996 तक लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) मामलों की संख्या अधिक होने के क्या कारण हैं तथा उनके शीघ्र निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार इन लंबित मामलों का शीघ्र निपटन करने की दृष्टि से उक्त उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने तथा उनके रिक्त पदों को भी भरने हेतु तत्काल कदम उठाने का विचार रखती है, और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी खलप): (क) तारीख 30.6.96 को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 1,64,344 मामले लंबित थे।

(ख) उच्च न्यायालय में मामले विभिन्न जटिल कारणों से लंबित हैं। न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और यथा संभव शीघ्र उन्हें निपटने के तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक दिसम्बर, 1993 में हुई थी। सम्मेलन ने न्यायालयों/अधिकरणों में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अपने द्वारा अंगीकृत एक संकल्प में अनेक उपायों की सिफारिशें की थीं, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर

लिया गया है और सभी राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भी हैं, से आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई है।

(ग) और (घ) 29.8.96 को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 37 स्थायी/अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या में से स्थायी/अतिरिक्त न्यायाधीशों के 4 पद रिक्त हैं। लंबित मामलों के निपटारे के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों के 3 और पदों का सृजन करने का भी विनिश्चय किया गया है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के सभी 7 पदों को भरने के लिए संबद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया चल रही है। तथापि, यह बताना संभव नहीं है कि इन पदों को कब तक भरा जाएगा।

**Establishment of Medical stores Depot at Bhopal**

2980. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to establish Medical Stores Depot at Bhopal in Madhya Pradesh, being centrally located place in the country; and

(b) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b). There is no such proposal, at present, as the requirement of Madhya Pradesh are being catered to by the Medical Stores Depot at Bombay.

**आंध्र प्रदेश में धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन-स्थल**

2981. डॉ. बाई लक्ष्मी प्रसाद: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(घ) उपरोक्त भाग (क) में वर्णित कितने पर्यटन-स्थलों का विकास किया गया है; और

(ङ) इनमें से कितने पर्यटन-स्थल रेल-मार्ग या सड़क-मार्ग से जुड़े हैं तथा कितने सड़क और रेल, दोनों मार्गों से जुड़े हैं और वहां उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त केन): (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अधिनियमित किए गए पर्यटक महत्त्व के स्थल निम्नलिखित हैं:-

(I) ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल

आलमपुरा, अमरावती, बोर्रा गुफाएं, दराशरामम, गंटासाला, गोली, हेमावती, लपाकी, नागार्जुनकोटा, पात्मपेट (रामकृष्ण मंदिर) पंगल, फनीगिरि, पित्तलमाडी, पुष्पगिरि, डंकावली गुफाएं और कैलासनाथ कांडा।

(II) वार्षिक केन्द्र

अन्तर्वेदी, अरसावल्ली, बसर, भादराबलमा धर्मपुरी, दराशरामम, झरका, तिरुमाला, रिवाली, सिम्हाचलम, श्रीकाकुलम, श्रीकालाहस्वी, श्रीधरम, श्रीसेलम, वारंगल, यादगिरिगुदा, चण्डीपालक, कांडीमलायापल्ली, वेमुलाकाडा।

(ख) जी, झ।

(ग) एक सर्वेक्षण कराया गया था और इसके परिणामस्वरूप, आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन का विकास करने के लिए एक परियोजना योजना तैयार की गई है।

(घ) उपरोक्त भाग (क) में वर्णित सभी स्थलों पर तीर्थ यात्रियों के लिए किसी न किसी एक विभाग (मुख्यतया धर्मदाय विभाग) द्वारा सुविधाएं उपलब्ध हैं। आन्ध्र प्रदेश राज्य निम्नलिखित स्थलों पर कंटेनर और आवास सुविधाएं मुहैया कर रहा है:-

तिरुपति, भद्राचलम, धर्मपुरी, श्रीसेलम, मंत्रालयम, महानदी, अहोबिलम, लीपाकी मायपट्ट, तुपिलिपलम, रामप्वा, एनीहोबाला, आलमपुर, धिम्मियापरी, मन्, कैलासनाथकोटा और कांडीमलायापल्ली, नागार्जुनसागर, विजयाद, वारंगल, अमरावती, बसर और यादगिरिगुदा में भी पर्यटन सुविधाएं दी जा रही हैं।

(ङ) निम्नलिखित पर्यटक स्थल यथा कांडीमलायापल्ली, धर्मपुरी, तुपिलिपले, रामप्वा, एनीहोबाला, आलमपुर, धिम्मियापरी, मन् और वेमुलाकाडा तथा अन्य अधिनियमित किए गए पर्यटक स्थल रेल और सड़क मार्ग से जोड़े गए हैं।

Functioning of Family Welfare Units in Government Hospitals in Delhi

2982. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the functioning of family welfare units in all the Central Government hospitals in Delhi is very poor;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government to strengthen and activate the family welfare units in these Government hospitals in Delhi?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) No, Sir. During 1995-96 Central Government Hospitals in Delhi performed 7256 cases of tubectomy, 297 cases of vasectomy and 5024 cases of IUD insertions. Under MCH services 29435 BCG, 29890 Polio, 25144 DPT vaccines, 8695 DT vaccines 14027 Measles vaccines and 42832 tetanus toxoid for pregnant women were administered by the Family Welfare Units of these Hospitals.

(b) and (c). Does not arise.

Violation of RBI Guidelines by Bank of Punjab

2983. SHRI KANAK SINGH MOHANSINH MANGROLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bank of Punjab is not entertaining cases pertaining to cash credit/O.D. limit which are less than Rs. 25 lacs;

(b) whether it is also a fact that this refusal by the Bank amounts to violation of the guidelines of the Reserve Bank of India; and

(c) if so, what action Government propose to take against the management of the Bank in order to follow the RBI guidelines with immediate effect?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश में निर्मित हवाई पट्टियां

2984. श्री जगन्नाथ सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हवाई यात्रा सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कितनी हवाई पट्टियों का निर्माण किन-किन स्थलों पर किया गया; और

(ख) इस संबंध में देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एफ. इब्राहिम): (क) मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खुजराहो और रायपुर स्थित छह प्रचालनात्मक हवाई अड्डे हैं और